मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2010 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 24 फरवरी, 2010 (फाल्गुन 5, 1931)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री :-

(क) राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) की धारा 37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम का 54वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009, तथा

(ख) भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-झ के खण्ड (4) की अपेक्षानुसार तृतीय राज्य वित्त आयोग का प्रतिवेदन एवं इस पर राज्य शासन का कृत कार्यवाही प्रतिवेदन,

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन लिमिटेड का तीसवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे दिनांक 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिये पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138(1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश न लगने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री रामनिवास रावत, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, हरदा जिले के मगरधा वन परिक्षेत्र अंतर्गत अवैध कटाई होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. वन मंत्री का वक्तव्य

श्री सरताज सिंह, वन मंत्री, दिनांक 17 नवम्बर, 2009 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्रमांक 5) के उत्तर में संशोधन किये जाने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

5 राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य, द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2010 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः)

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया उसके लिए मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं".

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 23 फरवरी, 2010